बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या 15/पी 5–09/2016 पटना, दिनांक /2017

विषयः– आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" के रूप में तीन स्वायत शासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ इन केन्द्रों के संचालन के लिए समन्वयकों तथा निदेशकों एवं विश्वविद्यालय के तकनीकी कार्यों के सचालन हेतु एक डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना वर्ष 2008 में राज्य में तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा के उन्नयन हेतु की गई है। राज्य के विद्यार्थियों के हित मे राज्य में नदियों के गतिविधियों के अध्ययन, पत्रकारिता और जनसंचार की शिक्षा तथा अर्थशास्त्र की शिक्षा हेतु उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" के रूप में तीन स्वायत शासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति एवं इन केन्द्रों के संचालन के लिए समन्वयकों तथा निदेशकों एवं विश्वविद्यालय के तकनीकी कार्यों के सचालन हेतु एक डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रत्येक शैक्षणिक केन्द्र के लिए संबंधित विषय के एक विशेषज्ञ की निदेशक के रूप में नियुक्ति की जायेगी, जिनका चयन एक चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। मुख्य सचिव, बिहार, चयन समिति के अध्यक्ष होगें तथा चयन समिति के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित दो विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। निदेशक के मानदेय एवं अन्य सेवा शर्ते राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी। निदेशक इन केन्द्रों के गुणवत्तापूर्ण विकास एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए जिम्मेवार होगें।

4. तत्काल प्रत्येक शैक्षणिक केन्द्र को विकसित करने के लिए एक–एक समन्वयक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। समन्वयक राज्य सरकार, विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक केन्द्र के बीच सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर केन्द्र को शीघ्र विकसित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें। साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य तकनीकी कार्यों के संचालन हेतु एक डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति भी विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।

5. प्रत्येक शैक्षणिक केन्द्र विश्वविद्यालय के अधीन एक स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्र के रूप में संचालित होंगे, जिनके लिए आवर्ती व्यय का वहन राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के स्रोतों से किया जायेगा।

6. शैक्षणिक केन्द्रों के संचालन हेतु शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों की आवश्यकता एवं वित्तीय भार का आकलन कर पद/राशि की स्वीकृति हेतु अलग से कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या 15/पी 5–09/2016 पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या 15/पी 5–09/2016–629 पटना, दिनांक 12/4/17

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

12/4/17
(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव
SSMH